भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 410
दिनांक 04 फरवरी, 2025/ 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराधों में वृद्धि

†410. श्री राजेश रंजनः

डॉ. नामदेव किरसानः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि संपूर्ण देश में साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान साइबर अपराधों की घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और साइबर अपराधों में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा राज्यों के साथ समन्वय करते हुए संपूर्ण देश में इन अपराधों पर अंकुश लगाने और जन-जागरूकता के माध्यम से ऐसे अपराधों को रोकने तथा साइबर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर अपराधों की जांच के लिए विशेष कार्यबल गठित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर अपराध जांच कार्यबल द्वारा कब तक कार्य करना शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ङ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 से 2022 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम/लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

लोक सभा अता.प्र.सं. 410 दिनांक 04.02.2025

केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा अवसंरचना और विधि प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने समेत साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। अब तक 11.20 लाख से अधिक शिकायतों में 3,919 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. केंद्र सरकार ने https://cybercrime.gov.in पर 'रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट' नामक एक नई सुविधा शुरू की है। यह सुविधा नागरिकों को 'संदिग्ध खोज' के माध्यम से साइबर अपराधियों की पहचान संबंधी आई4सी के भंडार में खोजने के लिए एक खोज विकल्प प्रदान करती है।

v. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 9.23 लाख से अधिक म्युल खातों को ग्रहणाधिकार चिह्नित किया गया है।

लोक सभा अता.प्र.सं. 410 दिनांक 04.02.2025

vi. आई4सी ने डिजिटल गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 3255 से अधिक स्काइप आईडी और 77,195 व्हाट्सएप खातों की सक्रिय रूप से पहचान की और उन्हें ब्लॉक कर दिया।

vii. दिनांक 31.12.2024 तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 7 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2.08 लाख आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

viii. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। अभी तक, साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 11,514 मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) ने राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

ix. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)"प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 1,01,112 से अधिक पुलिस अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 77,506 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

x. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' स्कीम के तहत 131.60 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। 33 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईएएस) के 24,600 से अधिक कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध संबंधी जागरूकता, जांच, फॉरेंसिक आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

xi. आई4सी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 8,680 अधिकारियों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है।

xii. आई4सी ने एनसीसी और एनएसएस के क्रमशः 41,891 और 54,072 से अधिक कैडेटों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है।

xiii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कार्यढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साथ लेकर साइबर अपराध संक्रेंद्रित स्थलों (हॉटस्पॉट)/ बहु-क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर, पूरे देश को कवर करते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएं हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में आयोजित की गईं।

xiv. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 5,668 आरोपियों की गिरफ्तारी, 15,603 लिंकेज और 25,495 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

xv. बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। दिनांक 31.12.2024 तक, 4,98,765 संदिग्ध रिकॉर्ड और 18,28,972 म्युल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया है और 2009 करोड़ रुपये से अधिक बचाए गए हैं।

xvi. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), रेडियो कैंपेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, कॉलर ट्यून, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले पर अखबार में विज्ञापन, डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर अपराधियों की अन्य कार्यप्रणालियों पर दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, डिजिटल गिरफ्तारी पर विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

xvii. भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के साथ टेलर्ड अलर्ट एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और उसे साझा करने के लिए एक स्वचालित साइबर थ्रेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहा है, ताकि उनके द्वारा खतरे को कम करने के लिए सक्रिय कार्रवाई की जा सके।

xviii. सर्ट-इन ने देश में साइबर स्पेस को स्कैन करने और साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की स्थापना की है।

xix. सर्ट-इन मेलिसियस प्रोग्रामों का पता लगाने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर) को संचालित करता है और इसे हटाने के लिए टूल्स निःशुल्क मुहैया कराता है तथा नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियां और सर्वोत्तम अभ्यास भी प्रदान करता है।

xx. सर्ट-इन आईटी बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने और साइबर हमलों को कम करने के संबंध में सरकार और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के नेटवर्क / सिस्टम प्रशासकों तथा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2024 में 23 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 12,014 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

xxi. माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रशिक्षित 'साइबर कमांडो' की एक विशेष शाखा स्थापित करने का निर्देश दिया है। 'साइबर कमांडो' का उद्देश्य राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय पुलिस संगठनों में विभिन्न रैंकों से साइबर कमांडो की भर्ती करना है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षित होने के बाद, ये कमांडो डिज़िटल फॉरेंसिक, घटना पर कार्रवाई तथा आईसीटी अवसंरचना सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ अपने संबंधित संगठनों में राष्ट्रीय संसाधन के रूप में कार्य करेंगे।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए और पुलिस स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

*****

अनुलग्नक

लोक सभा. प्र. सं. 410 दिनांक 04.02.2025

वर्ष 2020-2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	1899	1875	2341
2	अरुणाचल प्रदेश	30	47	14
3	असम	3530	4846	1733
4	बिहार	1512	1413	1621
5	छत्तीसगढ़	297	352	439
6	गोवा	40	36	90
7	गुजरात	1283	1536	1417
8	हरियाणा	656	622	681
9	हिमाचल प्रदेश	98	70	77
10	झारखंड	1204	953	967
11	कर्नाटक	10741	8136	12556
12	केरल	426	626	773
13	मध्य प्रदेश	699	589	826
14	महाराष्ट्र	5496	5562	8249
15	मणिपुर	79	67	18
16	मेघालय	142	107	75
17	मिजोरम	13	30	1
18	नागालैंड	8	8	4
19	ओडिशा	1931	2037	1983
20	पंजाब	378	551	697
21	राजस्थान	1354	1504	1833
22	सिक्किम	0	0	26
23	तमिलनाडु	782	1076	2082
24	तेलंगाना	5024	10303	15297
25	त्रिपुरा	34	24	30
26	उत्तर प्रदेश	11097	8829	10117
27	उत्तराखण्ड	243	718	559
28	पश्चिम बंगाल	712	513	401
	कुल राज्य	**49708**	**52430**	**64907**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	8	28
30	चंडीगढ़	17	15	27
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	5	5
32	दिल्ली	168	356	685
33	जम्मू और कश्मीर	120	154	173
34	लद्दाख	1	5	3
35	लक्षद्वीप	3	1	1
36	पुदुचेरी	10	0	64
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**327**	**544**	**986**
	कुल (अखिल भारत)	**50035**	**52974**	**65893**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया।